

प्रमाण-पत्र

आवेदक द्वारा सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985 के नियम 16ग(क) के अन्तर्गत पन्द्रह वर्ष सेवा पूर्ण करने के पश्चात् उक्त प्रायोजन हेतु अनुमन्यता है। उक्त धन फ्लैट की रजिस्ट्री व अन्य खर्च के प्रयोजन में ही व्यय किया जायेगा। फ्लैट एलाटमेन्ट लेटर की छायाप्रति संलग्न है।


सत्यानन्द उपाध्याय
अपर जनपद न्यायाधीश
गोरखपुर।